बैंकों में अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश

*486. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री वीरेन ज० शाह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अध्यक्ष व प्रबंध निदेशकों और कार्यकारी निदेशकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में कोई दिशा-निदेश हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या बैंकों में इन पदों पर नियुक्तियां करते समय इन दिशा-निदेशों का सख्ती से पालन किया जाता है ;

(घ) यदि नहीं, तो किन स्थितियों में इन दिशा निदेशों की उपेक्षा की जाती है ; और

(ङ) उन मामलों का ब्यौरा क्या क्या है जिनमें इन दिशा निर्देशों की उपेक्षा कर नियुक्तियां की गई और पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन अवसरों पर ऐसी नियुक्तियां की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों तथा कार्यपालक निदेशकों और भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष-प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और 1980 तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में निहित प्रावधानों के अनुसार की जाती है । इन संविधियों में इन कार्यपालकों की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किए जाने का प्रावधान है ।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं में पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में सरकार को सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में जनवरी, 1990 में एक नियुक्ति बोर्ड का गठन किया गया है । बोर्ड आवधिक बैठकें करता है और समय-समय पर होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए सिफारिशें करता है । सिफारिशें करते समय, बोर्ड कार्यपालकों के निरंतर रिकार्डों, उनकी सेवा की अवधि उस बैंक का कार्यनिष्पादन, जिसमें वे कार्य कर रहे हैं, आदि को ध्यान में रखता है । बोर्ड द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यपालकों के अंतर बैंक स्थानांतरणों पर भी विचार किया जाता है । राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्यपालक निदेशकों नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, नियुक्ति बोर्ड की उप समिति द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के पात्र महाप्रबंधकों और भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी बैंकों के मुख्य महा-प्रबंधकों का साक्षात्कार लेने के बाद एक पैनल तैयार किया जाता है और बोर्ड द्वारा पैनल में सिफारिशों की जाती हैं ।

सरकार द्वारा नियुक्ति बोर्ड की सिफारिशों पर विचार किया जाता है और नियुक्तियां अपेक्षित औपचारिकतायें पूरी हो जाने के बाद की जाती हैं ।

Effect of new import export policy on export of Sandalwood

*487. SHRI J. P. JAVALI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the new Import Export Policy totally bans export of sandalwood resulting in accumulation of Sandalwood in Karnataka;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what measures are proopsed to be taken for liquidating the stocks with the Sandalwood growing States?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT TO SMALL SCALE INDUSTRIES AND AGRO AND RURAL INDUSTRIES AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. J. KURIEN): (a) Yes. Sir,